


वार्षिक लेखा

2014-15



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
कोर- IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली -110003

वेबसाइट: www.ncrpb.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2015 तक वार्षिक लेखों की सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	(i-iv)
2.	तुलन पत्र	1
3.	आय और व्यय लेखा (योजनागत)	2
4.	आय और व्यय लेखा (गैर योजनागत)	3
5.	प्राप्तियां और भुगतान लेखा	4-5
6.	अनुसूचियां 1 से 20	6-15.
7.	दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 21 एवं 22)	16-25



सोपनीय

संख्या / No.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली -110001

दिनांक/Dated

विषय:- वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियों उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता०

(विमलेन्द्र पटवर्धन)

प्रधान निदेशक


दिनांक 27/10/2015

संख्या: DD-I/HQ/NCRPB/A/A/cs/1-38/2015-16/ 613
प्रतिलिपी:-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर IV बी, भारत पर्यावास केन्द्र लोधी रोड नई दिल्ली 110 003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. महा निदेशक (वाणिज्यिक), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली, को उनके पत्र संख्या: 762/CA-III/ND-I/SAR/NCRPB/77-15 दिनांक 19.10.2015 के संदर्भ में एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तथ्यों एवं आँकड़ों की पुनः जाँच कर ली गई है।

अनुलग्नक: यथोपरि

MS/NCRPB
Dy. No. 892.13.....
Date. 27.10.15.....


27/10/2015
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002.

दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax: 011-23378432, 011-23370871

e-mail: mabnewdelhi1@cag.gov.in

(1)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2015

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31st March 2015 and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.
 - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the NCRPB as required under rule 33 (i and ii) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.
 - (iv) We further report that:

(A) Grants-in-aid

During the year 2014-15, the NCRPB received grants-in-aid of ₹ 83.90 crore (₹ 80 crore under Plan and ₹ 3.90 crore under Non-Plan). The NCRPB has utilized the entire grant of ₹ 83.90 crore during the year.

(v) We report that the Balance Sheet and Income & Expenditure//Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the NCRPB as at 31st March 2015; and
- b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India


21/10/2015.

(Vimalendra Patwardhan)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi.

Place: New Delhi

Dated: 21 October 2015

Annexure to Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit for the year 2014-15 was conducted by a Chartered Accountant firm.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal Control System is not commensurate with the size and activity of the Board, considering the large volume of receipts and payments. Sufficient manpower and supervision is needed for effective control over financial matters and maintenance of records/subsidiary registers etc.

3. System of Physical verification of Fixed Assets

In absence of properly maintained fixed assets register the authenticity of physical verification carried out cannot be commented upon.

4. System of Physical verification of Inventory

There is no stock in trade.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per the Financial Statements, no payments over six months, in respect of undisputed statutory dues, were outstanding as on 31 March 2015.



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

कोष/पूँजी निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में)
			पूर्ववर्ती वर्ष
एनसीआरपीबी फंड (कोष/पूँजी निधि)	1	31833068168	27694873552
विशेष आरक्षित	2	5085709720	5535795989
निर्धारित/एंडोमेंट कोष	3	8344130	8344130
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	5000000000	5000000000
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	9037126262	9651012856
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं	6	1198785604	854993562
योग		52163033884	48745020089
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	7	7930978	8953437
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	117200575	105656208
एनसीआरटीसी में योगदान निवेश	9	50000000	50000000
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	51987902331	48580410444
विविध खर्च (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		52163033884	48745020089
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजनागत)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलनपत्र में अंतरित	तुलनपत्र में अंतरित
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/एंडोमेंट निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनो की बिक्री से आय		5975	7475
अर्जित ब्याज़	11	4172189304	3754683588
अन्य आय	12	61316965	10598903
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		0	0
योग (क)		4233512244	3765289966
व्यय			
स्थापना व्यय	13	45702414	35932447
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	2684319	4096807
अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय (प्रावधान)		404963000	140000000
बाज़ार उधारी पर व्यय	15	851714985	1356992075
मूल्यहास अनुसूची 7 के अनुरूप		1558930	1698215
योग (ख)		1306623648	1538719544
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)		2926888596	2226570422
पूर्व अवधि व्यय	16	0	1514217
बांड रिडम्प्शन रिज़र्व में अंतरण (बीआरआर)		1549913731	1344527994
आय और व्यय लेखा (गैर योजनागत) में अंतरण		38780249	41105186
उपयोग		1588693980	1387147397
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो.निधि में अंतरित		1338194616	839423025
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर योजनागत)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में)
			पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		39000000	34392000
शुल्क और अभिदान		0	0
पीएफ और एनपीएस/सेवनिवृत्ति लाभ के निवेश से आय	17	9876366	6671405
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित ब्याज		0	0
अन्य आय	18	31187	23592
आय और व्यय लेखा (योजनागत) से अंतरित		38780249	41105186
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी		0	0
योग (क)		87687802	82192183
व्यय			
स्थापना व्यय	19	76965466	73903139
अन्य प्रशासनिक व्यय	20	10722336	8289044
अनुदानों, इम्दादों आदि पर व्यय		0	0
योग (ख)		87687802	82192183
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्ष.या.बो.निधि में अंतरित		शून्य	शून्य
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-

निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत
I. आरम्भिक शेष						
क) हाथ में रोकड़	62717	62717	0	9450	9450	0
ख) बचत खाते में शेष	1854076209	1854076209	0	1501722493	1501722493	0
ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष	3917476	0	3917476	4320025	4320025	0
घ) (एनपीएस) बचत खाते में शेष	737	0	737	708	708	0
उप योग	1858057139	1854138926	3918213	1506052676	1506052676	0
II) प्राप्त अनुदान						
क) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से	839000000	800000000	390000000	634392000	600000000	34392000
ख) शहरी विकास मंत्रालय से, आरआरटीएस अध्ययन के लिए	0	0	0	15170000	15170000	0
III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस)						
क) बचत खाते पर ब्याज	191637	0	191637	204725	0	204725
ख) भविष्य निधि जमा पर ब्याज	8972909	0	8972909	1766110	0	1766110
IV) प्राप्त ब्याज						
क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	2066961401	2066961401	0	2183014624	2183014624	0
ख. बचत बैंक	30564420	30564420	0	34097505	34097505	0
ग. बैंक जमाओं पर	1937137112	1937137112	0	1209623065	1209623065	0
V अन्य आय						
क. रा.रा.क्ष. प्रकाशनों की बिक्री	5975	5975	0	7475	7475	0
ख. पहचानपत्रों के गम होने पर	1887	0	1887	0	0	0
ग. आरटीआई शुल्क	8400	0	8400	7731	0	7731
घ. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान	0	0	0	45438	45438	0
ड. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	5700	1100	4600	4200	0	4200
च. आयकर वापसी	0	0	0	31368247	31368247	0
छ. आयकर वापसी पर ब्याज	0	0	0	3080323	3080323	0
ज. स्टाफ को दिए गए ऋण पर ब्याज	169396	0	169396	395817	0	395817
झ. संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0	0	0	19625	19625	0
ण. पुराने समाचार पत्र की बिक्री	0	0	0	3261	0	3261
VI) उधार ली गई धनराशि						
क. एडीबी से ऋण	1296277313	1296277313	0	1227873592	1227873592	0
ख. के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण	258200000	258200000	0	0	0	0
VII) अन्य प्राप्तियां						
क. राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	6130838379	6130838379	0	5677485597	5677485597	0
ख. ऋण पर अधिक वापसी	2970000	2970000	0	0	0	0
ग. भुनाई गई सावधि जमा	37700133268	37700133268	0	39831267995	39831267995	0
घ. भविष्य निधि/एनपीएस निवेशों की परिपक्वता	91572096	0	91572096	12000000	0	12000000
ड. बयाना राशि/ जमानत राशि	6000	0	6000	209027	0	209027
च. स्टाफ से अग्रिम की वसूली	1140195	0	1140195	570083	0	570083
छ. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	340370	0	340370	360140	0	360140
ज. एलआईसी से प्राप्त/वसूल की गई जीआईएस धनराशि	42842	0	42842	52862	0	52862
झ. जीपीएफ निकासी/वापसी	3932540	0	3932540	3633900	0	3633900
ण. एनपीएस वसूली	502485	0	502485	330088	0	330088
ट. रा.रा.क्ष.यो. बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर्ज की कटौती	3845213	0	3845213	4414848	2369258	2045590
ड. सेमिनार और प्रशिक्षण अग्रिम की वापसी	226919	68406	158513	92013	0	92013
ड. स्टाफ कार के प्रयोग की वसूली	6300	0	6300	7700	0	7700
ड. एनसीआरटीसी लोगो की प्रोसेसिंग फीस	0	0	0	7000	7000	0
कुल	52231109897	52077296300	153813596	52377557667	52321482420	56075247

ह./

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2015 समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि ₹ में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. व्यय						
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 13 और 19 के अनुरूप)	54953306	16249921	38703385	80498423	44796226	35702197
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 14 और 20 के अनुरूप)	13783989	2926495	10857494	11714541	3883428	7831113
ग) बाजार उधारी पर व्यय (अनुसूची 15 के अनुरूप)	1091770294	1091770294	0	1049509714	1049509714	0
II. राज्य सरकारों/एजेंसियों का प्रदत्त ऋण	2379142000	2379142000	0	3554410000	3554410000	0
III. किए गए निवेश और जमा						
क) एनसीआरटीसी में इक्विटी योगदान	0	0	0	50000000	50000000	0
ख) एफडीआर में निवेशित राशि	38150400000	38150400000	0	40024400000	40024400000	0
ग) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्त लाभ	105600000	0	105600000	91572096	91572096	0
घ) अन्य बीआरआर	6675709720	6675709720	0	5535795989	5535795989	0
IV. अचल परिसंपत्तियों पर व्यय						
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	533981	533981	0	1466437	1466437	0
V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि / ऋणों की वापसी	0	0	0	0	0	0
VI. ऋणों और अग्रिमों का भुगतान						
क) स्टाफ को विविध अग्रिम	309651	0	309651	432093	0	432093
ख) जीपीएफ से अग्रिम/आहरण	1763000	0	1763000	2304356	0	2304356
ग) यात्रा अग्रिम	369689	0	369689	120100	0	120100
घ) एलटीसी अग्रिम	543837	0	543837	202984	0	202984
ङ) पेट्रोल अग्रिम	4500	0	4500	10500	0	10500
च) स्टाफ को अग्रिम	130500	0	130500	80250	80250	0
VII. अन्य भुगतान						
क) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के बांडों का विमोचन	2000000000	2000000000	0	0	0	0
ख) बयाना राशि	6000	0	6000	161500	161500	0
ग) उधारकर्ता एजेंसियों / बैंकों द्वारा टीडीएस की कटौती	130094735	130094735	0	104225537	104225537	0
घ) सामूहिक बीमा योजना राशि का भुगतान	45167	0	45167	56801	0	56801
ङ.) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	3921455	1786000	2133455	4786422	4786422	0
च) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	352640	0	352640	392880	0	392880
छ.) नई पेंशन योजना के लिए भुगतान	456912	0	456912	326322	0	326322
ज) आरआरटीएस अध्ययन के लिए भुगतान	0	0	0	6825870	6825870	0
झ) प्रशिक्षण तथा सेमिनार अग्रिम	68406	68406	0	207713	207713	0
VIII. इति शेष						
क) हाथ में रोकड़ (अग्रदाय सहित)	37147	37147	0	62717	62717	0
ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	1619605232	1619605232	0	1854076209	1854076209	0
ग) जीपीएफ बचत खाते में बैंक बैलेंस	1506968	1506968	0	3917476	0	3917476
घ) एनपीएस बचत खाते में बैंक बैलेंस (NPS)	767	767	0	737	0	737
कुल	52231109897	52069833667	161276230	52377557667	52326260108	51297559

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां		अनुसूची-1 (राशि ₹ में)
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष / पेंजी निधि)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के शुरु में शेष	27694873552	26255450527
जोड़ें: शहरी विकास मंत्रालय से अंशदान	800000000	600000000
जोड़ें: आय तथा व्यय लेखा (योजना) से अंतरित	1338194616	839423025
जोड़ें: आय तथा व्यय लेखा (गैर योजना) से अंतरित	0	0
जोड़ें: बीआरआर से अंतरित	2000000000	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	31833068168	27694873552
		अनुसूची-2 (राशि ₹ में)
विशेष आरक्षित	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. बांड रिडम्प्शन रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	5535795989	4191267995
वर्ष के दौरान जमा	1549913731	1344527994
घटाएं एनसीआरपीबी फंड में कर योग्य बांड 2018 सीरीज के विमोचन के पश्चात अंतरित	2000000000	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	5085709720	5535795989

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(राशि ₹ में)	
निर्धारित/एंडोमेंट निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	
(क) क्षेत्रीय त्वरित टंजिट प्रणाली (आरआरटीएस) गलियारों के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान	8344130	10466280	
वर्ष के शुरू में शेष	0	0	
जोड़े: वर्ष के दौरान शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	0	4703720	
जोड़े: हरियाणा सरकार से प्राप्त अनुदान	0		
उप-योग	8344130	15170000	
(ख) आरआरटीएस/अध्ययन हेतु किया गये व्यय			
- परामर्शदाता को आरआरटीएस अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	0	6825870	
-परमार्शदाता को दिया शुल्क			
उप-योग			
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क- ख)	8344130	8344130	

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(राशि ₹ में)	
सरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	
निजी स्थापन बांड			
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-I	5000000000	5000000000	
योग	5000000000	5000000000	

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(राशि ₹ में)	
असरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	
निजी स्थापन बांड			
क) रा.रा.क्षे.यो.बो. कर योग्य बांड 2018	0	2000000000	
ख) रा.रा.क्षे.यो.बो. कर योग्य बांड(2019) सिरीज I	2651000000	2651000000	
ग) रा.रा.क्षे.यो.बो. कर योग्य बांड(2019) सिरीज II	1349000000	1349000000	
घ) एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से ऋण	3755447967	2339286693	
ड) के.एफ.डब्लू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	1281678295	1311726163	
योग	9037126262	9651012856	

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
चालू देयताएं और प्रावधान		
सांविधिक देयताएं :		
1. सामान्य भविष्य निधि	28536673	23851175
2. जीआईएस निधि	2325	2325
3. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	25620	32740
4. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से टीडीएस की कटौती	307727	256867
5. अति देय	205000	205000
उप-योग	29077345	24348107
उधार पर ब्याज जमा परंतु देय नहीं:		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड 2018	0	29031233
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड 2019 सीरीज I	39209379	39209379
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सीरीज II	18927394	18927394
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सीरीज I	288936986	288936986
5. ए.डी.बी. से ऋण पर ब्याज जमा	2435035	1509035
6. के.एफ.डब्लू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज जमा	5863678	1956830
उप-योग	355372472	379570857
अन्य चालू देयताएं:		
1. देय खर्च	4071948	4951085
2. बयाना	496965	496965
3. राज्य सरकारों से ऋणों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियां।	3512602	542602
उप-योग	8081515	5990652
प्रावधान :		
1. कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के लिए		
क) ग्रेच्युटी	13960590	11487467
ख) पेंशन (वर्तमान)	3312382	2443884
ग) पेंशन (सेवा निवृत्त)	129930800	95590576
डी) संचित छुट्टी नकदीकरण	15995442	13051682
उप-योग	163199214	122573609
2. रा.रा.क्ष. सेल हेतु देय व्यय		
क) एनसीआरसेल उ.प्र. हेतु प्रावधान (2005-06 से 2011-12)	10208975	0
ख) एनसीआरसेल दिल्ली हेतु प्रावधान (2009-10 से 2012-13)	5166269	5166269
ग) एनसीआरसेल हेतु प्रावधान (2013-14)	11241827	29845978
घ) एनसीआरसेल हेतु प्रावधान (2014-15)	27927504	0
उप-योग	54544575	35012247
3. अन्य प्रावधान		
क) राष्ट्रीय संस्थानों को मूल्यांकन शुल्क	0	325907
ख) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर वचनबद्धता प्रभाव	2824119	6389129
ग) एडीबी ऋणों पर गारंटी शुल्क	7862726	35934166
घ) केएफडब्ल्यू ऋणों पर गारंटी शुल्क	52442566	68183280
ड.) पीएमसी सेवाएं-एडीबी	1295071	1665608
च) अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान	524086000	175000000
उप-योग	588510482	287498090
कुल योग	1198785604	854993562

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अचल संपत्तियां 2014-15

विवरण	सकल ब्लाक						दर (%)	मूल्य हास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के शुरू के अनुसार लागत/मूल्यांकन	180 दिन के पहले संवर्धन	180 दिन के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कुल संवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति पर लागत/मूल्यांकन		वर्ष के शुरू के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान कटौती	वर्तमान वर्ष की समाप्ति यानी 31.03.15 के	विगत वर्ष की समाप्ति के अनुसार
(राशि ₹ में)													
कार्यालय स्थान आईएचसी	5674968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5674968.33	10	567496.83	0.00	0.00	567496.83	5107471.50	5674968.33
वाहन	1093929.48	0.00	0.00	0.00	0	1093929.48	15	164089.42	0.00	0.00	164089.42	929840.06	1093929.48
फर्नीचर/फिक्सचर	604490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	604490.29	10	60449.04	0.00	0.00	60449.04	544041.25	604490.29
कार्यालय उपकरण	764515.66	4721.00	301260.00	305981.00	350.00	1070146.66	15	114677.38	23302.65	52.50	138032.53	932114.13	764515.66
कंप्यूटर/पैरीफरीयल	807101.98	226000.00	0.00	226000.00	0.00	1033101.98	60	484261.19	135600.00	0.00	619861.19	413240.79	807101.98
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	5278.86	2616.00	0.00	2616.00	0.00	7894.86	60	3167.32	1569.60	0.00	4736.92	3157.94	5278.86
वार्षिक प्रकाशन संदर्भ पुस्तकें	3152.00	0.00	2224.00	2224.00	0.00	5376.00	100	3152.00	1112.00	0.00	4264.00	1112.00	3152.00
कुल योग	8953436.60	233337.00	303484.00	536821.00	350.00	9489907.60		1397293.18	161584.25	52.50	1558929.93	7930977.67	8953436.60

* आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी अचल परिसंपत्तियों के दिनांक 01.04.2014 के आरंभिक शेष (कार्यालय आवास को छोड़कर) को वर्ष 2014-15 के दौरान पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(राशि ₹ में)	
निवेश - अन्य	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	
(क) भविष्य निधि निवेश			
1. सरकारी प्रतिभूतियां	3411385	3411385	
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	23000000	16000000	
3. शेयर	0	0	
4. डिबेंचर्स और बांड	1000000	1000000	
5. सब्सिडी और संयुक्त उद्यम	0	0	
6. अन्य			
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	558500	508129	
सेविंग बैंक में जमा राशि	1506968	3917476	
उप-योग	29476853	24836990	
(ख) नई पेंशन स्कीम			
सेविंग बैंक में जमा राशि	767	737	
उप-योग	767	737	
(ग) सेवानिवृत्ति लाभ निधि			
बैंक में सावधि जमा	82600000	75572096	
सेवानिवृत्ति लाभ निवेश पर जमा	5122955	5246385	
उप-योग	87722955	80818481	
सकल योग	117200575	105656208	

31.3.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(राशि ₹ में)	
निवेश - योगदान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	
निवेश-एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में इक्विटी योगदान	50000000	50000000	
योग	50000000	50000000	

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	268125	272585
2. लेखन सामग्री का स्टॉक	191675	167684
3. विविध देनदार:		
क) 6 माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	98361	98361
उप-योग	558161	538630
4. हाथ में नकद शेष	37147	62717
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास:		
- बचत खाते (स्वतः विनिमय वाले एफडीआर समेत)	1619605232	1854076209
- बी.आर.आर. की एफ.डी.आर.	5085709720	5535795989
- एफडीआर - अन्य	21970000000	14384400000
उप-योग	28675314952	21774272198
कुल (क)	28675910260	21774873545
ख. ऋण, अग्रिम और परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	109829	245691
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	55000	57700
ii) एलटीसी अग्रिम	195000	111000
iii) पेट्रोल अग्रिम	2500	4000
iv) विविध अग्रिम	2500	11948
उप-योग	255000	184648
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों	21379425199	25131121578
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क) पूर्व प्रदत्त व्यय	123043	475234
ख) वसूली योग्य अग्रिम आय कर, एफबीटी और टीडीएस	413438069	231524043
(कर का निवल प्रावधान)		
ग) सेमिनार अग्रिम	60000	192513
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	26648	26648
उप-योग	413647760	232218438
3. अर्जित आय		
क) एफडीआर पर जमा ब्याज पर देय नहीं	766709161	578598500
ख) ऋण पर प्राप्त ब्याज	744633304	857892754
ग) स्टाफ ऋण पर जमा ब्याज	1029232	1183194
घ) बचत खाते में जमा ब्याज	6182587	4092096
उप-योग	1518554284	1441766544
कुल (ख)	23311992072	26805536899
कुल (क+ख)	51987902331	48580410444

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2015 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

		(राशि ₹ में)	
अर्जित ब्याज		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1	सावधि जमा पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	2183751609	1533612331
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	संस्थानों के पास	0	0
घ)	अन्य	0	0
2	बचत खातों पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	32654911	33400214
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	डाकघर बचत खाते	0	0
घ)	अन्य	0	0
3	ऋणों पर:		
क)	राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर ब्याज	1943660084	2187220866
ख)	कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज	18747	29044
ग)	राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	12103953	421133
कुल		4172189304	3754683588

		(राशि ₹ में)	
अन्य आय:		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क)	आयकर वापसी पर प्राप्त ब्याज	0	3080323
ख)	अन्य आय	4040	26625
ग)	एनसीआरसेल हेतु अव्याधिक प्रावधानों को वापस लिखा गया (2013-14)	5110018	7491955
घ)	मूल्यांकन शुल्क का प्रावधान वापस लिखा गया	325907	0
ड.)	वर्ष 2012-13 की अवसंरचना परियोजनाओं को अनुदान का प्रावधान वापस लिखा गया	35000000	0
च)	वर्ष 2013-14 की अवसंरचना परियोजनाओं को अनुदान का प्रावधान वापस	20877000	0
कुल		61316965	10598903

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2015 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

स्थापना व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन और मजूदरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	5493272	5611506
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय	2072663	474963
ग) एनसीआर प्रकोष्ठों पर व्यय हेतु प्रावधान	27927504	29845978
घ) एनसीआर सेल उ.प्र. हेतु अतिरिक्त प्रावधान	10208975	0
कुल	45702414	35932447

अन्य प्रशासनिक व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	4459	4228
ख) अध्ययन और सर्वेक्षण	1498496	2682200
ग) विज्ञापन और प्रचार	113974	407845
घ) बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	320280	913772
ङ) अंकेक्षण शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	0	18836
च) प्रिंटिंग प्रभार	0	67666
छ) संगोष्ठी और प्रशिक्षण	747110	2260
कुल	2684319	4096807

उधार पर हुआ व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) बांडों पर ब्याज	950625181	973671090
ख) लिस्टिंग शुल्क	221237	221237
ग) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार	33000	37453
घ) ट्रस्टीशिप फीस	67416	67416
ङ) पीएमसी सेवाओं - एडीबी पर व्यय (प्रावधानों समेत)	19426837	10203019
च) रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस	2284654	2172293
छ) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	112360	112360
ज) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	38662648	31251790
झ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	8619194	8754490
ञ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	(168363906)	330493142
ट) एनएसडीएल प्रभार	1124	7785
ठ) भुगतान पर बैंक प्रभार	25240	0
कुल	851714985	1356992075

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

पूर्ववर्ती व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) पीएमसी सेवाओं पर व्यय-एडीबी ऋण	0	1108924
ख) प्रतिबद्धता प्रभार -केएफडब्ल्यू ऋण	0	316197
ग) केएफडब्ल्यू ऋण पर ब्याज	0	89096
कुल	0	1514217

31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

भविष्य निधि/एनपीएस निधि/सेवानिवृत्ति लाभ के निवेश पर आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) भविष्य निधि निवेश पर ब्याज	2003395	1219762
ख) सेवानिवृत्ति निधि निवेश पर ब्याज	7692430	5246385
ग) भविष्य निधि बचत खातों पर ब्याज	180510	205229
घ) एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	31	29
कुल	9876366	6671405

31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	4600	4200
2. स्टाफ कार के उपयोग हेतु वसूली	6300	8400
3. आरटीआई शुल्क	8400	7731
4. पहचान पत्र खोने पर	100	0
5. पुराने समाचार पत्र बेचने पर	0	3261
6. आईएसटीएम से प्रशिक्षण शुल्क की वापसी	10000	0
7. अन्य	1787	0
कुल	31187	23592

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2015 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

स्थापना व्यय	(राशि ₹ में)	
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन (मूल + महंगाई भत्ता)	11185497	10899151
भत्ते एवं बोनस	19221327	16817533
एनपीएस में योगदान	498545	367112
सेवानिवृत्ति एवं आवधिक लाभ	0	0
अन्य		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	239536	326400
भविष्य निधि खाते पर ब्याज	2163918	1775350
भर्ती व्यय	189392	550983
संपदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाईसेंस शुल्क	129221	97237
समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाएं	63607	76215
वर्दी	17584	0
प्रावधान		
गेच्युटी का प्रावधान	2473123	(615837)
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	2943760	(522273)
पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान	868498	(32891024)
पेंशन (गैर वर्तमान) का प्रावधान	36971458	77022292
कुल	76965466	73903139

प्रशासनिक व्यय	(राशि ₹ में)	
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभार	276703	25120
हाउस कीपिंग	2277518	1495800
मरम्मत और रखरखाव	638527	691566
किराया, दर और कर	1356605	1304813
वाहनों के चालन और रखरखाव पर	359735	472892
डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	608627	562070
प्रिंटिंग और लेखन सामग्री	718913	526732
यात्रा तथा वाहन व्यय	1130003	761590
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	8000	216668
कानूनी शुल्क पर व्यय	915289	190677
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	528950	293205
आतिथ्य खर्च	213213	309253
व्यावसायिक शुल्क	1588579	1120158
बैठकों पर व्यय	0	114677
अन्य	101674	203823
कुल	10722336	8289044

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियाँ

1. लेखा प्रणाली कन्वेन्शन

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत रूढ़ी और लेखा प्रणाली के प्रोदभवन अभिसमय के आधार पर और लेखाकरण के प्रोदभवन तरीके के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में न अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

ख) लेखों का फार्मेट और नजदीकी रूपए तक आंकड़ों को पूर्णांकित करना:

ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं। वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी रूपयों तक पूर्णांकित किया गया है। आय-व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में पिछले वर्ष के आंकड़े जहां आवश्यक थे पुनःसमूहित किए गए हैं। प्रत्येक योजनागत तथा गैर-योजनागत लेन-देन के लिए अलग प्राप्त तथा भुगतान लेखा एवं आय एवं व्यय का विवरण तैयार किया गया है।

2. आय-मान्यता:

सभी आय को प्रोदभवन के आधार पर मान्यता दी गई है।

3. व्यय की मान्यता:

क) स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल क्लेम तथा ट्यूशन फीस प्रतिभूर्ति के भुगतान जिसे नकद आधार पर लिया जाता है, को छोड़कर सभी व्ययों को प्रोदभवन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) सभी पूर्व अवधि व्यय तथा पूर्वदात व्यय जिनको इस वर्ष के खर्चों में मिला दिया था उन्हें भी अलग कर पृथक शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।

4. अचल परिसम्पत्ति:

- क) अचल परिसम्पत्तियां मूल्यहास का प्रभार घटाने के पश्चात हासित मूल्य पर बताई गई है।
ख) वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया है।

5. अचल परिसम्पत्तियां मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू डी वी तरीके से प्रभारित किया गया है। मूल्यहास आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है।

6. सेवा-निवृत्ति लाभ:

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार, वर्ष के आय और व्यय लेखों (गैर योजना) तथा तुलन पत्र में किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से तैयार किए जा रहे हैं और तदनुसार प्रति वर्ष अपेक्षित निवल राशि आय-व्यय लेखा (योजना) से आय-व्यय (गैर योजना) में आंतरित की जाती है।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में सामान्य भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियां राजस्व से प्रभारित की गई है और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई है।

ग) नई पेंशन योजना:

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार नई पेंशन योजना निधि योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ने अपने दिनांक 17.08.2009 का जा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉजिटरी लिमि, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉजिटरी लिमि. में आवश्यक पंजीकरण कराया गया है। नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉजिटरी लिमि. द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉजिटरी लिमि. को अंतरित की गई हैं।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को नेशनल स्क्युरिटी डिपाजिटरी लिमि. को भेज रहा है। बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल स्क्युरिटी डिपाजिटरी लिमि. द्वारा किया जा रहा है।

घ) समूह बीमा देनदारियां

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एलआईसी के साथ समूह बीमा योजना नामक एक नई पॉलिसी शुरू की है और इसके प्रोद्भूत होते ही ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एलआईसी को 6,91,873/- रुपये अंतरित किए। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियां कर रहा है और उसे प्रतिमाह एलआईसी को भेज रहा है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एलआईसी को ब्याज बचत लाभों तथा बीमा कवर, जहां भी लागू हो, के लिए भेजा जाता है।

7. इन्वेंटरी

क) एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन

बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निःशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों की लागत आय और व्यय लेखा (योजना) खर्च में लिखी जाती है। और बेची गई पुस्तकों से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से आय के रूप में दर्शाया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक का लागत-मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर बची हुई स्टेशनरी का मूल्यांकन कर उसे तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

8. अध्ययन और सर्वेक्षण

अध्ययन और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययों को छोड़कर) आय-व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किए जाते हैं।

9. निर्धारित/एंडामेंट निधि

शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांकित 09.03.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है कि आरटीएस के तीन कोरीडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा।

शहरी विकास मंत्रालय से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआर प्रकोष्ठ पर व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एनसीआर प्रकोष्ठ / राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एनसीआरपीबी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वित्तीय वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किया गया है।

11. आयकर:

क) उपर्युक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात् वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने अपने आदेश की संख्या डी जी आई टी (ई) 10 (23 सी) iv/2008 दिनांक 02.5.2008 के द्वारा एनसीआपी बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23 सी) के उप खण्ड (IV) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

12. बांड रिडम्पशन रिजर्व (बीआरआर) का सृजन

बोर्ड ने फरवरी 2008 में 7 वर्ष की अवधि (पुट/काल आप्शन) के लिए 200 करोड़ रु के कर योग्य बांड्स प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर पूंजी बाजार से जुटाए। सांविधानिक आवश्यकता अनुसार इन्हें जुटाने से पूर्व बांडों का वित्तीय मूल्यांकन क्रिसिकल तथा इंडिया रेटिंग (पूर्व में फिच रेटिंग) एजेन्सी से कराया गया। रेटिंग एजेन्सी ने उल्लेख किया कि बोर्ड द्वारा बांड रिडम्पशन ने बांड ईशू के जरिए वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक 900 करोड़ रु की अतिरिक्त राशि जुटाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड बांड संबंधी अपनी देनदारियों को पूरा कर सके, वर्ष 2008-09 में बोर्ड ने 7 वर्ष के (पुट/काल आप्शन) अवधि को ध्यान में रखते हुए बांड रिडम्पशन रिजर्व सृजित किया और आय-व्यय लेखा(योजना) में प्रभारित जमा से इस बीआरआर में राशि अंतरित की जा रही है। ये बीआरआर निधि पब्लिक सेक्टर बैंकों में बेहतर रिटर्न के लिए सांविधि जमा किया जा रहा है।

13. एनसीआरपी बोर्ड में 2010-11 में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए (कर योग्य एनसीआरपी बोर्ड बांड सिरीज-1(2020) से 500 करोड़ रु जुटाए। सेबी के दिनांक 11 मई, 2009 के परिपत्र सं. एसईबीआई/आईएमडी/बांड/1/2009/11/2005 दिनांक 11 मई, 2009 के अनुसरण में यह बांड ईशू

के ट्रस्टी यानी कार्पोरेशन बैंक के पास सभी वर्तमान और भावी ऋणों पर श्रुवात्मक लियन के द्वारा सुरक्षित है।

14. एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अपनी दिनांक 22.03.2012 को संपन्न 32वीं बैठक में अनुमोदित किया था कि रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवरेज तथा एस डब्ल्यू एम सेक्टर की सभी परियोजनाएं पीएसएमजी (PSMG) द्वारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (जो कि 04.08.2011 को संपन्न) के बाद स्वीकृत की गई है, जिनमें 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं गई है, अनुदान राशि पाने के योग्य है। ये अनुदान प्रतिपूर्ति रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। अतः अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अनुदान के भुगतान हेतु आय एवं व्यय खाते में आवश्यक प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं तथा इन्हें "अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अनुदान पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

15. बाह्य मुद्रा में लेन देन:

बाह्य मुद्रा में हुए लेनदेन का लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार मापा जाता है। बाह्य मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे एडीबी / केएफब्ल्यू से लिए गए ऋणों को 9 वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है तथा परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय में प्रभारित किया जाता है।

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त) /डीडीओ

ह./-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2015 को तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां तथा आकस्मिक देनदारियों की स्थिति:

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग द्वारा प्रबंधन पत्र संख्या डीडी-II/A/c/NCRPB/10-3/2012-13/18 दिनांकित 14.10.2013 में की गई समुक्तियों के अनुपालन में, लेखों पर टिप्पणियां अलग से दिखायी गई हैं।

1. पूर्व अवधि व्यय

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा द्वारा अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या डीडी-II/Annual A/c NCRPB 10-3/2012-13/489 दिनांकित 10.10.2013 में की गई समुक्तियों के आधार पर पूर्वअवधि व्यय को अलग से आय-व्यय लेखा में दिखाया गया है।

2. एन. सी. आर. नियोजन एवं निगरानी सेल

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआर सेल पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति सम्बंधित एनसीआर प्रकोष्ठ/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एनसीआरपीबी द्वारा सम्बंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर सेलों से प्राप्त विगत वर्षों के दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं। 31.03.2014 तक देय एनसीआर सेल सम्बंधी व्यय के लिए ₹3,50,12,247/- का प्रावधान 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न तुलनपत्र की अनुसूची 6 में दर्शाया गया है।

ख) वर्ष 2014-15 में लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

- (i) हरियाणा सेल: हरियाणा सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2013-14 में ₹92,79,814 का प्रावधान किया गया था परंतु इसकी तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹73,08,340 का वास्तविक भुगतान किया गया था। वित्त वर्ष 2013-14 की बकाया राशि ₹19,71,474/- को आय एवं व्यय (योजना) के वापस लिख लिया गया है।
- (ii) उत्तर प्रदेश सेल: उत्तर प्रदेश सेल को वर्ष 2013-14 में देय व्यय के लिए ₹1,43,80,371/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विपरीत, प्रतिपूर्ति के लिए ₹1,12,41,827/- की रकम पास की गयी (अप्रैल, 2015 में भुगतान किया गया)। अतः ₹31,38,544/- के बकाया प्रावधान

को दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार चालू वित्त वर्ष के आय एवं व्यय (योजना) में वापस लिखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2011-12 से सम्बंधित ₹1,02,08,975/- का रोका हुआ भुगतान, जिसके लिए किताबों में दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार कोई प्रावधान नहीं था को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित कर दिया गया है (भुगतान अप्रैल, 2015 में किया गया है)। अतः एनसीआर व्यय के लिए ₹1,02,08,975/- का प्रावधान वर्तमान वर्ष में किया गया है। अतः ₹1,02,08,975/- की शुद्ध अतिरिक्त रकम जो कि एनसीआर सेल को देय है तथा दिनांक 31.03.2014 की स्थिति से परे है को वर्ष 2014-15 के लेखों में स्थान दिया गया है।

(iii) राजस्थान सेल: राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2013-14 में ₹61,85,793/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2014-15 में ₹61,85,793/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। अतः लेखों के माध्यम से कोई राशि पारित नहीं की गयी।

(iv) दिल्ली सेल: दिल्ली सेल को देय व्यय हेतु वर्तमान वर्ष 2014-15 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है तथा वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए बनाया गया ₹51,66,269 का एक प्रावधान अभी उपलब्ध है।

ग) एनसीआर से व्यय के रूप में निम्न प्रकार से वर्तमान वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ₹2,79,27,504/- का प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय (योजना) खाते में प्रभारित किया गया है।

राजस्थान	82,58,456/-
उत्तर प्रदेश	1,23,60,708/-
हरियाणा	73,08,740/-
दिल्ली	शून्य
कुल	2,79,27,504/-

दिनांक 31.3.2015 को समाप्त वर्ष हेतु एनसीआर सेलों को देय व्यय का कुल प्रावधान ₹5,45,44,575/- है जो कि बोर्ड के वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के अनुसार है।

3. आयकर

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (सी) (iv) के अंतर्गत आयकर से छुट प्राप्त है। इसे ध्यान में रखते हुये वर्ष 2014-15 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का प्रावधान नहीं दिया गया है। परंतु वर्ष 2014-15 के लिये उधारकरता एजेंसियों/बैंकों ने वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर ₹18,19,14,026/- का टीडीएस काटा। तदनुसार, वर्ष 2014-15 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 10 में शीर्ष "अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशि" के तहत वर्ष 2014-15 के लिए स्रोत पर कर योग्य कटौती के रूप में दर्शाया गया है। इसके लिए दावा निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न भरते समय आयकर विभाग से किया जाएगा।

अग्रिम आयकर वसूली/स्रोत पर आयकर कटौती (निवल का प्रावधान) की ₹23,15,24,043/- की राशि के लिए बोर्ड के तुलन पत्र में दर्शाई गई। पूर्व उधारकर्ता एजेंसियों/बैंकों ने वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर ₹18,19,14,026/- का टीडीएस काटा। तदनुसार 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार आयकर विभाग से ₹ 41,34,38,069 वसूल किए जाने हैं।

4. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार

क) एशियन डेवलपमेंट बैंक: पहली किश्त की राशि 78 मिलियन अमेरिकी डालर में से 18 मिलियन अमेरिकी डालर वर्ष 2013-14 में रद्द कर दी गई है तथा दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार एडीबी से ली गई कुल बकाया ऋण डालर 38.66 मिलियन (₹233.93 करोड़) है। वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड ने एडीबी से 21.14 मिलियन अमेरिकी डालर ₹129.63 करोड़ का नया ऋण भी लिया है तथा इस पूर्व बकाया ऋण पर विनिमय दरों के अंतर पर हुई हानि ₹11.99 करोड़ "बाजार उधारी पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा आय एवं व्यय (योजना) में प्रभारित किया गया। बोर्ड ने 60 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल राशि को ऋण समाप्ति तिथि 31.12.2014 तक उपयोग कर लिया था।

ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेन्सी) : दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, केएफडब्ल्यू से ली गई कुल बकाया ऋण राशि ₹ 131.17 करोड़ है। वर्ष 2014-15 के दौरान, बोर्ड ने केएफडब्ल्यू से यूरो 32,13,237.24 (₹ 28.82) करोड़ का नया ऋण लिया है तथा कुल बकाया ऋण पर विनिमय दरों के अंतर के कारण हुए लाभ ₹ 131.17 करोड़ को "बाजार उधारी पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है तथा आय तथा व्यय (योजना) में प्रभारित किया गया है। दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार बोर्ड द्वारा ली गई ऋण राशि यूरो 18.98 मिलियन है।

5. अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान

दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान का कुल बकाया प्रावधान ₹17.50 करोड़ था जैसा कि वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे में दिखाया गया है। चूंकि कोई परियोजना इस अनुदान के लायक नहीं थी इसलिए वर्ष 2014-15 में कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, इन 9 परियोजनाओं में से 5 अनुदान की समयबद्धता की शर्त पूरी न पाने के कारण अनुदान पाने योग्य नहीं रही। अतः इन 5 परियोजनाओं के लिए बनाए गए प्रावधान ₹350 लाख तथा वर्ष 2013-14 में ₹208.77 लाख, कुल ₹558.77 लाख को पुनः वित्त वर्ष 2014-15 के आय तथा व्यय (योजना) में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2014-15 के लेखों में समअनुपात पर ₹4049.63 लाख का नया प्रावधान किया गया है जोकि वर्ष 2014-15 की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान हेतु है। भविष्य में आने वाली ऐसी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह राशि आय तथा व्यय (योजना) खाते में प्रभारित की गई है।

6. विशेष रिजर्व/बांड रिडंपशन रिजर्व (बीआरआर)

दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार कुल बीआरआर ₹553.58 करोड़ था। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹154.99 करोड़ (जिसमें ₹54.99 करोड़ का ब्याज पुनर्निवेश भी शामिल है) की राशि अंतरित की गई तथा आय एवं व्यय (योजना) में प्रभारित की गई है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने फरवरी, 2015 में ₹ 200 करोड़ के असुरक्षित करयोग्य बांड 2018 सिरीज का विमोचन काल आप्शन के द्वारा किया है। यह रकम बीआरआर से ली गई है। वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों की सूची 2 के अनुसार दिनांक 31.3.2014 को कुल बीआरआर ₹508.57 करोड़ है।

7. स्थापना व्यय (योजना) वेतन

अनुसूची 13 में शीर्ष स्थापना व्यय (योजना) के अंतर्गत दर्शाए गए ₹ 54,93,272/- बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से वर्ष 2014-15 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन है। ये पद 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाना है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद शहरी विकास मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.1.2011 के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित की गई है। जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक प्रोदभवन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (योजना) में अलग से दर्शाया जा रहा है।

8. निवेश: एनसीआर परिवहन निगम में इक्विटी योगदान

एनसीआरटीसी के गठन के लिए कैबिनेट नोट दिनांक 11.07.2013 को अनुमोदित किया गया था। ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख दिनांक 01.08.2013 को हस्ताक्षरित किए गए थे तथा एनसीआरटीसी का गठन 21.08.2013 को हुआ। इसके अतिरिक्त बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आरआरटीएस संरक्षण सहित कार्यान्वयन के सभी मुद्दों को एनसीआरटीसी द्वारा संबंधित किया जाएगा। एनसीआरटीसी ₹100 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ आरआरटीएस कोरिडोर की डिजाइन, वित्त पोषण, और कार्यान्वयन के लिए होलडिंग कंपनी है इस प्रारंभिक कोष को निम्नलिखित तरीके से बांटा जाना है:-

संख्या	इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा (%)	रकम (₹ करोड़ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.5%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.5%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.5%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.5%	12.50
7.	एनसीआर प्लानिंग बोर्ड	5%	5.00
	कुल	100%	100.00

वर्ष 2013-14 के दौरान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआरटीसी के लिए अपना ₹5 करोड़ का योगदान दे दिया है तथा एनसीआरटीसी द्वारा शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है।

9. वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों की सूची 10 में दर्शाए अनुसार 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी को ऋणों/अग्रिमों के रूप में 21,37,94,25,199/- का बकाया एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की संबंधित उधारकर्ता एजेंसियों से बकाया की पुष्टि के अध्यक्षीन है।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ें, जहां आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव